कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर–302004

क्रमांकः एफ. 14(222/14)2014/एफसीए/प्रमुवसं./ 4112 दिनांक 6/12/22

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषयः– Permission for Running of existing gaushala in forest land, lakhawa distt. kota, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/Others/25462/2017)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक 6670 दिनांक 10.11.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में कार्य योजना प्रसतावों का विवरण अंकित नही किया गया है।
2. मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा प्रसताव में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उलंघन का होना पाया गया है जबकि उप वन संरक्षक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में उलंघन नही होना पाया गया है इस विरोधाभास को स्पष्ट किया जाना प्रसतावित है वर्तमान में गौशाला संचालित है अतः पार्ट ।। के बिन्दु 11 एवं 12 की पूर्ती किया जाना प्रस्तावित है।
3. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उलंघन की रिपोर्ट एवं भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 29.1.2018 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही करावे।
4. प्रस्ताव में 4 पेच में गैर वन भूमि उपलब्ध करायी गयी है जिसकी क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना एक्जाई बनायी गयी है जबकि इनकी पृथक पृथक योजना बनायी जानी प्रस्तावित है।
5. प्रस्ताव में प्राप्त गैर वन भूमि के पृथक पृथक स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये गये है।
6. प्रस्ताव प्राप्त गैर वन भूमि में वन विभाग की सीमाएँ ओवरलेपिग हो रही है जिसका उप वन संरक्षक के स्तर पर परीक्षण करवाया जावे।
7. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रोजेक्ट कॉस्ट शुन्य दर्शायी गयी है जबकि प्रस्ताव में सम्मिलित एन0पी0वी0, क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना, दण्डात्मक राशि किस प्रकार जमा की जावेगी, स्पष्ट नही है।
8. प्रस्ताव में जिला कलेक्टर के आदेशानुसार 4.69 है0 का आबंटन किया गया था जिसे जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 10.6.2015 को निरस्त कर दिया गया। प्रस्ताव में 2.48 है0 भूमि गैर वन भूमि भी सम्मिलित है जो किस प्रकार से प्रस्ताव के साथ जुडी हुई है।
9. प्रस्ताव के साथ संलग्न के0एम0एल0 फाइल का क्षेत्र प्रत्यावर्तित वन भूमि के बराबर नही है।
10. उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव में 228 वृक्षो का विदोहन होना है अथवा नही स्पष्ट नही है।
11. उप वन संरक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में किस रक्षित वनखण्ड में वन भूमि प्रत्यावर्तित की जा रही है स्पष्ट नही किया गया है। एवं उसकी प्रति भी संलग्न नही की गयी है।
12. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो मुख्यतः शपथ पत्र में उल्लेखित खसरा प्रत्यावर्तित वन भूमि से संबंधित नही है।

उक्त कमियों को दूर करते हुए ही प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

भवदीया,

Shikha

(शिखा मेहरा)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14(222/14)2014/एफसीए/प्रमुवसं./ 4113-14 दिनांक 6/12/22

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप वन संरक्षक, कोटा
2. प्रयोक्ता अभिकरण संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति, लखावा, कोटा

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

CamScanner